17.47 hrs.

Slums and Jhuggi-Jhopri Areas (Basic Amenities and Clearance) Bill, 2001

Title: Consideration of the Slums and Jhuggi-Jhopri Areas (Basic Amenities and Clearance) Bill, 2001 (Not concluded).

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि गंदी-बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं जैसी न्यूनतम बुनियादी सुख-सुविधाओं तथा व्यापक जनहित में ऐसे क्षेत्रों के अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुंगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

सभापति महोदय, मैं इसी विाय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। यदि हम इसे रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो शहरों में इसी तरह स्लम्स बढ़ते जाएंगे। 15 अगस्त को आजादी के 56 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अभी भी कई लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। जो भी सरकार सत्ता में आती है वह गरीबी हटाने की बात करती है लेकिन गरीबी दूर नहीं हो रही है। आर्थिक समानता की बात की जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और आर्थिक समानता लाने की बात कही लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। आज भी कई लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और गरीबी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26 परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हम देखते हैं कि 40 परसैंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस कारण शहरों में बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। आज गांवों में रोजगार नहीं हैं। वहां जमीन है लेकिन बारिश नहीं होती है। इससे गांव का किसान अपना पेट नहीं भर पाता। जिस के पास 10-20 या 40-50 एकड़ जमीन है लेकिन उसकी जमीन सिंचित नहीं है तो भी उसकी हालत खराब है। आज बहुत से लोग रोजगार के लिए शहरों में आते हैं। वे मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई रोजगार के लिए आते हैं। दूसरे कई शहरों जैसे लखनऊ आदि जगहों में भी आते हैं। इस कारण शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। गांव के लोग शहरों की म्युनिसिपैलिटी में काम करने के लिए आते हैं। शहरों के विकास के जो काम हो रहे हैं, वहां वे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर गांव के गरीब लोगों को शहरों में लाकर कट दायक काम उनसे करवाते हैं।

उन्हें रहने के लिये जगह नहीं दी जाती है और न मकान दिया जाता है। लेकिन फिर भी, चाहे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या म्युनिसिपैलिटी या एअरपोर्ट अथौरिटी या रेलवे या प्राइवेट लोगों की जमीन हो, वे लोग आकर बसते हैं और अपनी झुग्गी-झोंपड़ी बनाते हैं। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी को उनकी ओर ध्यान देने की आ वश्यकता है मगर उन झोंपड़ियों में न बिजली, न पानी और न स्वच्छता रहती है और न ही शौचालय होता है। रास्ता ठीक नहीं होता, तब सरकार कहती है कि यह अनधिकृत रूप से बसे हुये हैं लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वही झुग्गी-झोंपड़ी वालों के वोट काम आते हैं। जब सरकार बन जाती है तो वही झुग्गी वाले इल्लीगल रूप से बसने वाले कहे जाते हैं। सरकार उन्हें वहां से हटाने के लिये कार्यवाही करने का प्रयास करती है।

सभापति महोदय, महाराट्र सरकार ने 1.1.1995 तक की झुग्गी झोंपड़ियों को रैगुलराइज कर दिया है। मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर बात की कि जो लोग 1995 के बाद आये हैं, उनका क्या करेंगे, क्या उन्हें हटायेंगे, उन्हें गोली मार देंगे या उनकी झुग्गियां तोड़ने वाले हैं? वे भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, उन्हें वहां से हटाने के बजाय बसाने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार कानूनी तौर पर उनकी रक्षा कर सकती है। इसलिये मैंने मांग की थी कि जिन लोगों ने लोकसभा के 1999 के चुनाव और विधानसभा के चुनावों में वोट दिया है, उन झुग्गी झोंपड़ियों को रैगुलर कर दिया जाये। मुम्बई में 2.5 की स्कीम है। स्लम में स्लम बिल्डर्स द्वारा डेवलेप किया जाता है। मेरी मांग है कि इन लोगों को 225 वर्गफीट के स्थान पर 400 वर्गफीट जगह मिलनी चाहिये। गरीब लोग, दलित, आदि वासी, मुस्लिम, हिन्दू सब शहरों में आ जाते हैं। जो लोग शहरों में आ जाते हैं, ऐसे गरीब लोगों को हटाये जाने का प्रयत्न हो रहा है।

सभापति महोदय, मेरी मांग है कि चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, म्युनिसिपैलिटी को उन लोगों को बसाने का प्रयास करना चाहिये। मुम्बई में फारेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है जहां स्लम हटाये जाने का काम किया गया है। वहां हज़ारों झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाया गया है। इसलिये केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसी फैरेस्ट जमीन पर ये गरीब लोग बसे हुये हैं, उन्हें रैगुलराइज किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे स्लम में रहने वाले लोगें को न्याय दिलाने के लिये हम सब लोगं को विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति मेरा सुझाव है कि गांवों में उद्योग लगाये जायें ताकि गाव के लोगों को रोजगार मिल सके और वे लोग शहरों में न आ सकें। हर परिवार को 5 एकड़ जमीन दी जानी चाहिये ताकि वहीं मकान बनाकर अपना काम कर सके और शहरों की तरफ न आये। स्लम में रहने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। मुम्बई में धारावी ऐसी जगह है। वहां 10 x10 और 8x8 के मकान हैं, गलियां तंग हैं और वहां के लोग बीमार रहते हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है। स्लम में रहने वाले लोंगों के लिये अच्छी जमीन बनाये जाने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे मुम्बई में 7-8 लाख लोग स्लम में रहते हैं। उनमें बहुत से लोग तो उत्तर प्रदेश, बिहार से आते हैं। मुम्बई में 55 प्रतिशत से ज्यादा मराठी लोग हैं । हमने सुझाव दिया था कि जो बाहर से आये हुये हैं, उन्हें कानूनी तौर पर नहीं रख सकते । मराठी दिल्ली में आते हैं, भोपाल में आते हैं, अहमदाबाद में आते हैं तो हम उन्हें नहीं रख सकते।

कानूनी तौर पर हम उन्हें नहीं रोक सकते। मगर हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे, हम अटली जी के साथ बात करेंगे, हम उन्हें बतायेंगे कि मुम्बई से काफी पैसा इधर आता है, इसलिए हमें हर साल एक हजार करोड़ रुपये स्लम्स डेवलपमैन्ट के लिए देना चाहिए। हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी बात करेंगे। मुम्बई में जो ज्यादा लोग इधर से आ रहे हैं, अगर उन्हें रोजगार मिल सकता है तो उन्हें उधर रोजगार देने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि हमें स्लम्स के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली में भी काफी स्लम्स हैं, इन स्लम्स के लिए जिस तरह से हमने मुम्बई में स्कीम्स बनाई हैं, उसी तरह की बिल्डिंग्स की स्कीम्स इधर भी बनाने की आवश्यकता है। केवल झुग्गी-झोंपड़ियां हटाने से काम नहीं चलेगा। झुग्गी-झोंपड़ी हटाने वालों को झुग्गी-झोंपड़ी वाले हटा देते हैं। इसलिए उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है, उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, इसी मांग को लेकर हम इस प्रस्ताव को सदन में लाये हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव में अभी एक साल बाकी है, इसलिए आपकी सरकार को स्लम वालों के लिए कोई अच्छा निर्णय लेने की आ वश्यकता है और स्लम्स में रहने वाले लोगों को कानूनी तौर पर प्रोटैक्शन देने की आवश्यकता है। वे इल्लीगल हैं, यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वे भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें हर बार कानून के द्वारा अधिकारी बोलते हैं कि इन्हें हटाओ। उन्हें इस तरह से हटाना अच्छी बात नहीं है। भारतीय संविधान में उन्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार दिया है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा का संवैधानिक अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम उन्हें ये सब नहीं देते हैं तो उन्हें जहां भी जगह मिलती है वे वहां जाकर अपना घर बसाते हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए।

इन्हीं सब मांगों को लेकर मैं इस बिल को सदन में लाया हूं। उन्हें वहां पानी मिलना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा देने की आवश्यकता है। उनके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वे अंधेरे में रहते हैं। इसलिए इन सबके बारे में हम हाउस में चर्चा करेंगे, अन्य माननीय सदस्य भी अपने सुझाव सदन में रखेंगे और उन सबका मंत्री जी उत्तर देंगे। आप लोग सपोर्ट में बैठे हैं, लेकिन अभी हाउस एडजर्न होने में ढाई मिनट बाकी रह गया है और ढाई मिनट में आपकी क्या सपोर्ट मिलेगी। आपका

भाण अच्छा होना चाहिए। इसलिए झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आजादी के 56 साल बाद भी देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, हमें उसका सामना करना चाहिए और बिलो पावर्टी लाइन के मापदंड पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें ऊपर के लोगों को नीचे लाना चाहिए और नीचे के लोगों को ऊपर लाना चाहिए। कुछ इस तरह की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश का बजट नीचे के आदमी को ऊपर उठाने वाला होना चाहिए। हमारा बजट ऊपर के लोगों को और ऊपर धकेलने वाला होता है। इसलिए नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा, यह मेरा विश्वास है और उसके लिए आप लोग भी हाउस में अपने सुझाव रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the basic minimum amenities of water, electricity, sanitation and health facilities in slums and Jhuggi-Jhopri clusters and for the clearance of such areas in larger public interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला जो समाज का अंतिम आदमी है, अंतिम सीढ़ी है, उससे संबंधित बिल श्री रामदास आठवले जी ने हाउस में लाने का काम किया है। देश के जितने बड़े शहर हैं, सभी में झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग और झुग्गी-झोंपड़ी मौहल्ले हैं। 1912 में दिल्ली जब देश की राजधानी बनी तो दिल्ली की आबादी चार लाख थी। आज दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 44 लाख हो गई है। â€¦ (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, दोनों सदस्य उधर से ही बोल रहे हैं। एक सदस्य उधर से और एक सदस्य इधर से होना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : झुग्गी-झोंपड़ी पर आप लोग क्या बोलेंगे, यह गरीब आदमी का सवाल है, इस पर आप लोग क्या बोलेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपको मालूम नहीं है, मैं आपसे ज्यादा गरीब हूं। सभापति महोदय से जांच करवा लें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप स्वयं गरीब हैं, लेकिन आपकी पार्टी कौन सी है, आपकी पार्टी गरीबों की दुश्मन है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हमारी पार्टी उन्हीं वर्गों के हितों का संरक्षण करने का काम कर रही है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कौन से वर्गों का ?

श्री थावरचन्द गेहलोत : गरीबों के हितों का संरक्षण कर रही है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आबादी बढ़ी, हर एक शहर की आबादी इस ढंग से बढ़ी, इसका क्या कारण है, इसकी छानबीन होनी चाहिए कि क्या बात है कि इन शहरों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और लोगों का शहरों के प्रति आर्काण ज्यादा बढ़ रहा है।

18.00 hrs.

गांवों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। गरीबी की मार से मेहनतकश लोग शहरों में आ रहे हैं। शहरों में जो आ रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिलता और जो बेरोजगार हैं, अर्द्ध-रोज़गार प्राप्त हैं, उनको कम वेतन में, दैनिक मज़दूरी में जो कुछ काम मिलता है, वे करते हैं। इस कारण गांवों से मेहनतकश आदमी शहरों में आ रहे हैं। शहरों में उनको 1000-1500 रुपये महीने मिल जाते हैं। शहरों में वे कहां रहेंगे? शहरों में मकानों का किराया इतना है कि उतना वेतन उनको मिलता नहीं है। इस कारण जहां-तहां सरकार की खाली जमीन जहां होती है, उस पर वे बस रहे हैं। कहीं प्लास्टिक टांग दिया, कहीं खारपट या टीन का छप्पर लगा दिया धूप-बारिश से बचने के लिए - ऐसी हैं उनकी झुग्गी झोंपड़ी। जिन लोगों ने दिल्ली और बड़े शहरो के महलों को बनाया है उनके अपने रहने के लिए घर नहीं है। अगर होता तो वे झुग्गी झोंपड़ी में रहते? महोदय, कवि गोपाल सिंह नेपाली ने एक कविता कही थी जब दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अध्यक्षता में, जो देश के मशहूर कवि थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस कवि सम्मेलन में मौजूद थे, उनकी कविता की पहली पंक्ति थी --

'जब चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है,

चांदनी झोंपड़ी से लिपट-लिपटकर रातभर सिसकती रहती है।

उस कवि की कल्पना में और कवि की कविता में क्या कहा गया? कहा गया कि पूर्णिमा की एक रात है और जब चन्द्रमा की रोशनी आ रही है तो ऊंचे महल जो हमारे आवास के ही बगल में हैं - ली मैरेडियन, वे अलग से पता चलता है, उसमें से अलग रोशनी निकल रही है। जितने बड़े महल हैं, उनमें चांद की रोशनी से चमक होती है, लेकिन वही चांद की रोशनी झोंपड़ी में भी जा रही है। वह चांद की रोशनी सिसक रही है। वहां पीने का पानी नहीं है, पाखाने की व्यवस्था नहीं है, रोशनी का प्र ाबंध नहीं है। जैसे-तैसे गरीब झुग्गी-झोंपड़ी में समय काट रहे हैं।

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप अपना भाण अगली बार जारी रख सकते हैं जब हम यह विाय लेंगे।

The House stands adjourned to meet on Monday, the 28th July, 2003 at 11 a.m.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, July 28, 2003/Sravana 6, 1925 (Saka).